# बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

पत्रांक......................../

पटना, दिनांक........................
संoसंo–03/उoनिo/योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02/2014

**प्रेषक,**

**सयुक्त सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo),
बिहार, पटना।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

* अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की योजना हेतु ₹73.00 (तिहत्तर) लाख मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति के सम्बंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या–416, दिनांक–04.02.2015 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की योजना हेतु **₹73.00 (तिहत्तर) लाख** मात्र अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. विभागीय राज्यादेश संख्या–416, दिनांक–04.02.2015 द्वारा स्वीकृत राशि से संबंधित विपत्र की निकासी कोषागार से नही हो सकी थी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय निर्धारित कार्यों एवं शर्त्तो के अनुरूप किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 104 हस्तशिल्प उद्योग, मॉग संख्या 23, उप शीर्ष 0101 हस्तशिल्प का विकास, विपत्र कोड P2851001040101, राज्य योजना स्कीम कोड IND-5442, विषय शीर्ष 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में बजट उपबंध में उपलब्ध राशि से विकलित होगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल आय–व्ययक में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5. इस योजना का कार्यान्वयन ऐजेंसी के रूप में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को नामित किया गया है।

6. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना होंगे जो जिला कोषागार, पटना से एकमुश्त अग्रिम के रूप में राशि की निकासी करेगें।

7. स्वीकृत राशि का व्यय समय–समय पर उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में की जायेगी।

8. राशि की निकासी BTC-26 पर की जायेगी

9. इस योजना का नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। जो इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें। जो ए0सी/डी0सी0 विपत्रों का समायोजन हेतु मुल अभिश्रव समुचित जॉचोपरान्त महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय, पटना को उपलब्ध कराते हुये उसकी प्रति सरकार को उपलब्ध करायेगें।

10. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। इस योजना का राज्य योजना स्कीम कोड–IND–5442 है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड एवं योजना कोड अंकित करेंगे।

11. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–संoसंo–03/उoनिo/योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02/2014 के पृष्ट–50/टि0 पर दिनांक 01.03.2016 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश प्रारूप में वित्तिय आंतरिक सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–संoसंo–03/उoनिo/योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02/2014 के पृष्ट 51/टि0 पर दिनांक–05.03.2016 को प्राप्त है।

D:drive_sujeet_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16---------35

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

**13.** राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि0(2) दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक 2561 वि(2) दिनांक 17.04.1998 की कंडिका–2 एवं 15 एवं पत्रांक 2938 वि (2) दिनांक 08.04.08 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**14.** वित्त विभागीय पत्रांकः–7355 / वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी मे प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. स्वीकृत राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के कंडिका– 15 के शिथलीकरण प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
**संयुक्त सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक........................ / पटना, दिनांक..........................
*सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02 / 2014*

प्रतिलिपिः–जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**संयुक्त सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक........................ / पटना, दिनांक..........................
*सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02 / 2014*

प्रतिलिपिः–उप विकास पदाधिकारी, उपेन्द महारथी शिल्प अनु0 संस्थान, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**संयुक्त सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**

ज्ञापांक....1001.... / पटना, दिनांक....8.3.16....
*सं०सं०–03 / उ०नि० / योजना(हैण्डीक्राफ्टस)–02 / 2014*

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय / बजट शाखा, उद्योग विभाग / ~~आई0~~टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा–3(उ0नि0), को तीन प्रतियों में / प्रशाखा–1 योजना (स0) को तीन प्रतियों के साथ एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**संयुक्त सचिव,**
**उद्योग विभाग, बिहार, पटना।**
8.3.16

D:drive_suject_Dharmendra sir_\Sanction Order/2015-16--------36